न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 36/2021 जिला सीकर

1. विकास पुत्र गोविन्दा,
2. मंगलाराम उर्फ गंगाराम पुत्र मेवाराम,
3. चन्दाराम पुत्र मेवाराम,
   समस्त जाति जाट, निवासी बीदासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरफूल पुत्र लेखूराम, जाति जाट निवासी बीदासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।
2. तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 15.10.2020

उपस्थित–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री हरलाल सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2

निर्णय

दिनांक –28.09.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 15.10.2020 के खिलाफ प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रा. पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 10.08.2021 को प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रस्तुत किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.10.2020 में पारित किया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर मय रिपोर्ट हल्का पटवारी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र संशोधन राजस्व रिकार्ड प्रार्थी हरफूल पुत्र लेखूराम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीकर को आदेश दिया गया कि ग्राम बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ में अवस्थित खसरा संख्या 633 व खसरा संख्या 634 में से 3 बिस्वा जमीन रास्ते के रूप में अंकित की जावे। यह भी हिदायत दी की यह संशोधन पटवारी हल्का बीदासर की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2020 में बिन्दु संख्या 1, 2 में वर्णित पुराने रेकार्ड के आधार पर ही नक्शे व जमाबन्दी में किया जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.10.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 15.10.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 279/2 हाल खसरा नम्बर 634 का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है को बिना पक्षकार बनाये ही बिना सुने ही बिना कोई नोटिस दिये ही अपीलान्टान् के विरूद्ध 15.10.2020 ई0 को आदेश प्रदान कर दिया। रेस्पोडेन्ट

Scanned by CamScanner

अपील के मद नम्बर 1 में अपने आपको सहखातेदार कहता है ऐसी स्थिति में सभी सहखातेदारों के द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीयान जो कि आराजी खसरा नम्बर 279/2 हाल खसरा नम्बर 634 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को बिना पक्षकार बनाये जो आदेश प्रदान किया है। अपीलान्टान जो कि अपील में आवश्यक पक्षकार है को बिना सुने आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक नियमों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट मौका दिनांक 1.6.2020 सरासर गलत आधारहीन, अस्पष्ट व तहसील में बैठे–बैठे ही व बिना प्रार्थीयान को नोटिस दिये ही प्रस्तुत की है, पटवारी मौके पर गये ही ना ही अधिनस्थ न्यायालय ने 17.10.2019 ई0 को जो तहसीलदार जी रिपोर्ट मंगवाने की आज्ञा प्रसारित की जिस पर तहसीलदार जी कोई मौके पर नहीं गये यही नहीं उक्त जांच रिपोर्ट पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है केवल मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट को अकाट्य प्रमाण मानकर बिना उसकी साक्ष्य लिये ही निर्णय प्रदान किया है जो सरासर रूप में ही निरस्तीन है। जहॉ रास्ते का प्रश्न हो तहसीलदार स्वंय को ही मौके की जांच रिपोर्ट बाकायदा सभी खातेदारों को नोटिस देकर कार्यवाही करनी चाहिये यदि उसके द्वारा ऐसा किया गया है तो वह तथाकथित रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। अपीलान्ट के उत्तरी और जो रास्ता है उसकी भी पैमाइश आवश्यकीय थी के सम्बन्ध में कोई विचार न कर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने में सरासर गम्भीर भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय प्रसारित किया है उसमें उन्होनें नामान्तरकरण 465 का उल्लेख किया है। उक्त नामान्तरकरण खसरा नम्बर 279/1 व 279/2 के खातेदारों के मध्य अन्तर्गत धारा 53(2) रा.टी.एक्ट में किया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार जी जो कि लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर है व तहसीलदार के पावर एण्ड पजेशन में स्थित रिकार्ड उनके पावर में है। ऐसी स्थिति में अन्तर्गत धारा 80 रा.लै.रे. एक्ट उन्हें वह रिकार्ड मंगवाकर देखकर ही निर्णय पारित करना आवश्यकीय था। मौके पर कोई रास्ता बताया गया न कभी था न है पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में अंकित रास्ते के सम्बन्ध में सरासर गलत एवं रेस्पोडेन्ट से साज कर अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 रा0लै0रे0 एक्ट में नया रास्ता कायम करने में सरासर अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया है। नवीन रास्ता केवल मात्र धारा 251 (ए) रा0टी0एक्ट के तहत ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2020 को निरस्त किया जावे। अपीलार्थीण/प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2020 की किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 23.07.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पटवारी के साथ आकर भूमि में रास्ते की भूमि खाली करने को कहा व बताया की उपखण्ड अधिकारी जी लक्ष्मणगढ का आदेश है आप स्वंय रास्ते की भूमि में से अपनी फसल हटा लेवें। हमने हमारे अभिभाषक जी को बताया तो उन्होनें उपखण्ड अधिकारी जी लक्ष्मणगढ के जानकारी की तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई इस पर 26.7.2021 को ही नकल का आवेदन जो 26.07.2021 को ही प्राप्त हो गई। माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ आधारों पर अपील प्रस्तुत कर दी। अतः न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने की कृपा करें। प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय पक्षकार नहीं बनाया था। प्रार्थीयान विवादित भूमि के खातेदार हैं एवं उन्हें बिना पक्षकार बनाये अधिनस्थ न्यायालय में अपील की थी। अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा से प्रार्थीयान के हित प्रभावित है। प्रार्थीयान पीडित व प्रभावित है उन्हें बिना पक्षकार बनाये आदेश हुआ है। अतः प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 641 रकबा 5.49 है0 ग्राम बीदासर का वह सहखातेदार है।

Scanned by CamScanner

इसके उत्तर में खसरा नम्बर 634 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633 रकबा 7.11 है0 वाके ग्राम बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त आराजियात के पुराने खसरा नम्बर 279 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा, पुराने खसरा नम्बर 279/1 खसरा मिलान से नये खसरा 633 हो गये जिसका रकबा 7.11 है0, पुराने खसरा नम्बर 279/2 नये खसरा नम्बर खसरा मिलान के मुताबिक 634 रकबा 1.13 हैक्टेयर है। नामांतरकरण संख्या 465 गांव बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर को तस्दीक किया गया था जो खसरा नम्बर 279 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा में तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आधार पर खसरा नम्बर 279 में से 3 बिस्वा पुख्ता जमीन गै. मु. रास्ते के लिये कांटी गयी थी शेष रकबा बदस्तूर रहा। नामान्तरकरण संख्या 465 के आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2045 में कॉलम संख्या 12,13,14 में नोट लगाया गया है तथा इसमें अंकित किया गया कि नामांतरकरण संख्या 465 के आधार पर 3 बिस्वा जमीन खसरा नम्बर 279 में रास्ते के लिये कांटी गयी। उक्त रास्ते की भूमि का इन्द्राज आज तक चला आ रहा है तथा राजस्व ट्रेस नक्शा की नकल दिनांक 26.04. 1988 में खसरा नम्बर 279 की दक्षिणी–पश्चिमी भुजा पर रास्ते का अंकन किया गया है। एक रास्ता बीदासर से पूनियों का बास जाने वाले रास्ते में मिलता है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 634 की पश्चिमी भुजा में उत्तर–दक्षिण खसरा नम्र 641 में आवागमन करते है मौके पर रास्ता मौजूद है, तारबंदी की हुई है, रास्ता मौके पर चालू है। नई पैमाइश आने के बाद राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से उक्त रास्ते का अंकन नहीं किया है जिसकी जानकारी नये रिकार्ड की नकल लेने पर दिनांक 16.09.2019 को हुई। पुराने खसरा नम्बर 279/1, 279/2 व जिनके खसरा नम्बर 633, 634 गांव बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज. में अवस्थित है। पश्चिमी भुजा में उत्तर–दक्षिण 3 बिस्वा पुख्ता रास्ते की भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड ट्रेस नक्शा व जमाबंदी में अंकन किये जाने की प्रार्थना की है। उक्त भूल सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा हुई, जो सद्धाविक भूल है जिसको संशोधित किया जाकर न्यायहित में रास्ते का अंकन किये जाने की प्रार्थना है व रास्ता मौके पर चालू है व आवागमन के काम आता है। रास्ते की भूमि पर तारबंदी की हुई है। जिसमें जीप, मोटर गाडी, व अन्य वाहन आते जाते हैं। रास्ता मौके पर मौजूद होने के कारण किसी भी खातेदार के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। प्रार्थी को खसरा नम्बर 641 रकबा 5.59 है0 में प्रार्थी आवासीय मकान बनाकर मय परिवार आबाद है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी के आवासीय मकान व कृषि काश्तकार की आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता तहसीलदार महोदया लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 03.10.1987 के आधार पर तरमीम करवाया गया है। जिसके पुराने दस्तावेजात नामांतरकरण की नकलें आदि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर प्रार्थी का का प्रार्थना पत्र सद्धाविक है व राजस्व कर्मचारियों की भूल सुधारने के लिये व खसरा नम्बर 633, 634 गांव बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित है की जमाबंदी में रास्ते की भूमि का व ट्रेस नक्शा में रास्ते का अंकन किये जाने की प्रार्थना की है। उक्त सद्धाविक भूल होने कारण प्रार्थी को रिकार्ड दुरूस्त करवाने की आवश्यकता हुई, इस कारण उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। जिसको दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.10.2020 में पारित किया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर मय रिपोर्ट हल्का पटवारी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र संशोधन राजस्व रिकार्ड प्रार्थी हरफूल पुत्र लेखूराम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीकर को आदेश दिया गया कि ग्राम बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ में अवस्थित खसरा संख्या 633 व खसरा संख्या 634 में से 3 बिस्वा जमीन रास्ते के रूप में अंकित की जावे। यह भी हिदायत दी की यह संशोधन पटवारी हल्का बीदासर की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2020 में बिन्दु संख्या 1, 2 में वर्णित पुराने रेकार्ड के आधार पर ही नक्शे व जमाबन्दी में किया जाने के आदेश पारित किये गये। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

उचित एवं विधिसम्यक है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय पक्षकार नहीं बनाया था। प्रार्थीयान विवादित भूमि के खातेदार हैं एवं उन्हें बिना पक्षकार बनाये अधिनस्थ न्यायालय में अपील की गयी थी। अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा से प्रार्थीयान के हित प्रभावित है। प्रार्थीयान पीडित व प्रभावित है उन्हें बिना पक्षकार बनाये आदेश हुआ है। अतः प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार लक्ष्मणगढ तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2020 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपरोक्त अपीलार्थीगण ख.नं. 279/2 हाल ख.नं. 634 के रिकार्डेड खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष जो प्रार्थना पत्र 136 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरफूल द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2020 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को सभी सबूतों एवं साक्ष्य का अवलोकन कर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किये जाने योग्य है।

<u>अतः</u>—अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर का निर्णय दिनांक 15.10.2020 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ.गिरीश पाराशर)
अति. समागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner